न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 205/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर, शाखा कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रघुवीर सिंह राजपूत पुत्र श्री बहादुर सिंह राजपूत पता–01, सुल्तानपुरा, ठीकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राज.–303509।
2. श्री मुकेश सिंह राजपूत पुत्र श्री गिरधारी सिंह राजपूत पता–211, राजपूत मौहल्ला, पीपलखेडा, तहसील महुआ, जिला दौसा, राज.–321608।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांक: 14.10.2020

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी श्री रघुवीर सिंह राजपूत पुत्र श्री बहादुर सिंह राजपूत पता–01, सुल्तानपुरा, ठीकरिया, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राज.–303509 को 7,00,000/–(रूपये सात लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी श्री रघुवीर सिंह राजपूत पुत्र श्री बहादुर सिंह राजपूत की बंधक रखी गई संपत्ति जो कि ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 280 वर्गगज है। जिसकी चतुर्सीमाएं पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम मे खाली भूमि, उत्तर में नरेन्द्रसिंह का घर, दक्षिण मे भगवानसिंह का घर है। उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official